

चिकित्सक शिक्षकों के विदेश यात्रा प्रकरणों के संबंध में पूर्ति विवरण

पूर्ति किये जाने हेतु बिन्दु	पूर्तिकर्ता अधिकारी	पूर्ति का विवरण
1. चिकित्सक शिक्षक की विदेश यात्रा अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल कॉलेज में एम.सी.आई. के निरीक्षण पर क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?	विभागाध्यक्ष द्वारा	
2. चिकित्सक शिक्षक की विदेश यात्रा अवधि के दौरान चिकित्सकीय/शिक्षण कार्य पर क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?	विभागाध्यक्ष द्वारा	
3. चिकित्सक शिक्षक की विदेश यात्रा अवधि के दौरान उसके स्थान पर कौन चिकित्सक शिक्षक चिकित्सकीय/शिक्षण कार्य सम्पादित करेगा ? उस चिकित्सक शिक्षक का नाम व पदनाम सहित स्पष्ट सूचना।	विभागाध्यक्ष द्वारा	
4. चिकित्सक शिक्षक की विदेश यात्रा अवधि के दौरान क्या मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा है ? यदि हाँ, तो चिकित्सक शिक्षक की विदेश यात्रा से क्या परीक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? इस संबंध में स्पष्ट सूचना।	विभागाध्यक्ष द्वारा	
5. चिकित्सक शिक्षक द्वारा गत 5 वर्षों में की गई विदेश यात्रा का विवरण(अवधि, विदेश का नाम व प्रयोजन)	आवेदक द्वारा	
6. विदेश यात्रा प्रस्ताव संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज की अनुशंषा तथा उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्ट टिप्पणी सहित हो।	प्रधानाचार्य कार्यालय स्तर पर पूर्ति	
7. चिकित्सक शिक्षक विदेश यात्रा की राज्य सरकार की अनुमति से पूर्व ही विदेश यात्रा के लिए टिकट व अन्य व्यवस्थाएं कर चुके होते हैं। अतः भविष्य में विदेश यात्रा की राज्य सरकार की पूर्वानुमति के उपरान्त ही विदेश यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं की जाएं, इसकी सुनिश्चितता हों। विदेश यात्रा हेतु टिकट व अन्य व्यवस्थाएं कर लिये जाने को यात्रा अनुमति का आधार नहीं माना जावेगा।	संबंधित आवेदक को सूचनार्थ/ पालनार्थ	

हस्ताक्षर आवेदक  
(मय नाम एवं विभाग)

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष  
(मय विभाग)